रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-269/2024/1182/22-2-2024-17(34)/2010
लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार आगरा के सिद्धदोष बन्दी रनवीर (बन्दी संख्या-4363) पुत्र श्री विजयपाल, निवासी-ल्हौसरा, थाना-लोधा, जिला-अलीगढ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-277/1985 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-148, 307/149, 302/149 के अधीन मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1 अलीगढ़ दिनांक 14-06-1991 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-01-1997 द्वारा बन्दी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22-01-2021 तक काटी गयी 24 वर्ष 01 माह 16 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष 01 माह 07 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-269/2024/1182(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
3- पुलिस अधीक्षक, अलीगढ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रिमिनल) सं0-397/2020 रनवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-01-2021 के सन्दर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।